

उत्तर प्रदेश शासन

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-1

संख्या-44 /2018/ 2858 /सत्ताईस-1-2018-3(1)/18टी0सी0

लखनऊ: दिनांक: 28 जून, 2018

कार्यालय-आदेश

एतद्वारा जनहित/कार्यहित में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग (सिविल संवर्ग) के श्री आलोक प्रताप सिंह, अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड-4, बलरामपुर को तात्कालिक प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक उनके वर्तमान पद के साथ अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, बलरामपुर के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार प्रदान किया जाता है।

2- उक्त अतिरिक्त कार्यभार हेतु श्री आलोक प्रताप सिंह को पृथक से कोई वेतन भत्ता आदि देय नहीं होगा।

अनीता वर्मा सिंह  
विशेष सचिव।

संख्या: 44 /2018/ 2858 (1)/सत्ताईस-1-2017- तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
2. प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0)/प्रमुख अभियन्ता, परियोजना सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
3. मुख्य अभियन्ता, कार्मिक(अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ
4. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता को द्वारा मुख्य अभियन्ता, कार्मिक(अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
6. सम्बन्धित कोषाधिकारी, द्वारा मुख्य अभियन्ता, कार्मिक(अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ।
7. सम्बन्धित अभियन्ता को द्वारा मुख्य अभियन्ता, कार्मिक(अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ।
8. सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के समस्त अनुभाग।
9. गाई फाइल।

आज्ञा से,  
(ओ0पी0 सिंह)  
अनु सचिव।

4011

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.